पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत अंचल–बिहटा के सोन नदी पर पटना सोन क्लस्टर–1B (घाट संख्या–6, 7 एवं 8) से बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

दिनांक 24.09.2020 को आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला–पटना में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा श्री शशि भूषण सिंह, श्री राजन सिंह, मेसर्स परोपकर कंसल्टेंट प्रा0 लि0, को निर्गत टी0ओ0आर0 पत्र संख्या–SIA/ 1(a)/ 1007/2020, दिनांक 21.07.2020, पत्र संख्या–SIA/1(a)/1131/2020, दिनांक 24.07.2020 एवं पत्र संख्या–SIA/1(a)/1095/ 2020, दिनांक 22.07.2020 के आलोक में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। श्री विनायक मिश्र, अपर जिला दण्डाधिकारी (सा0), पटना (जिलाधिकारी, पटना द्वारा मनोनीत) के द्वारा इस लोक–सुनवाई की अध्यक्षता की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांकः 25.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पटना के पदाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति लोगों एवं सभी सम्बन्धित सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई कराने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि इस बालू खनन योजना से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में लोगों के सुझाव या आपत्ति प्राप्त किया जायेगा।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बालू खनन योजना की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, इन्वायरमेंटल मैनेंजमेंट प्लान एवं कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रेस्पान्सिबिलिटी (सी.ई.आर.) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर तक किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेगें। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। सलाहकार द्वारा बतया गया कि गीली बालू का परिवहन नहीं होगा, बालू का परिवहन तिरपाल से ढ़क कर किया जायेगा ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नही किया जायेगा। नदी के किनारों और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। बालू खनन योजना में सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन किया जायेगा। बरसात के मौसम में खनन कार्य बंद रहेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत्

परियोजना लागत का 2 प्रतिशत स्थानीय सुविधा एवं विकास के कार्यो में खर्च किया जायेगा। इसके उपरांत लोक–सुनवाई में उपस्थित लोगों से इस परियोजना के आलोक में पर्यावरण से संबंधित संभावित प्रभावों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु सुझाव/आपत्ति आमंत्रित किये गये, जो निम्नवत् है :–

1. श्री अजीत कुमार, ठेकहा द्वारा सड़क पर नियमित जल छिड़काव, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, धूलकण के नियंत्रण करने की व्यवस्था के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।
2. श्री राम आधार राय, अमनाबाद द्वारा धुलकंण के नियंत्रण करने हेतु फलदार वृक्षों को लगाने का सुझाव दिया गया।
3. श्री मोहन राय, अमनाबाद द्वारा कामगारों एवं स्थानीय लोागों के लिए सेड की व्यवस्था करने के साथ वहा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने एवं छायादार वृक्ष लगाने का सुझाव दिया गया।
4. श्री लवकुश कुमार, अमनाबाद द्वारा सड़कों की नियमित मरम्मति करना सुनिश्चित कराने की बात कहीं गयी।

लोक–सुनवाई के समापन से पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित लोगों के द्वारा सक्रिय भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए बताया गया कि बालू खनन परियोजना से संभावित कुप्रभावों के नियंत्रण हेतु लीजधारक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबंध योजना के तहत् बताये गये सभी कार्य करेंगे। लोगों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोवीड–19 प्रभाव से बचने के लिए योजना में जुड़े सभी लोगों को सैनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा जो प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत् होने वाले व्यय को स्थानीय लोगों के अनुसार करना चाहिए। इस खर्च का अनुश्रवण भी होना चाहिए, ताकि इसका सही उपयोग हो।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को इस प्रस्तावित खनन योजना की स्वीकृति की अनुशंसा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(मनोरंजन कुमार सिंह)
सहा0 वैज्ञानिक पदा0
बि0रा0प्र0नि0पर्षद

(एस.पी.राय)
पर्यावरण अभियंता
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्

(विनायक मिश्र)
अपर जिला दण्डाधिकारी
पटना

उपस्थिति सूची

श्री शशि भूषण सिंह, श्री राजन सिंह, मेसर्स परोपकर कंसल्टेंट प्रा० लि० द्वारा पटना जिला, अंचल-बिहटा के सोन नदी पर (पटना सोन कलस्टर-1B) सोन घाट- 6, सोन घाट- 7 एवं सोन घाट- 8 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2020 (गुरूवार) को 02:30 बजे अपराह्न में आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	विनायक मिश्र	अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना	24/09/2020
2.	एस. पी. राय	पर्यावरण अभियंता, बि० रा० प्र० नि० पर्षद	24.9.20
3.	मनोरंजन कुमार सिंह	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	24.9.20
4.	मुन्नी कु० शर्मा		[illegible]
5.	मो० शाहिद आफताब		[illegible]
6.	संतोष कुमार		Santosh
7.	मुकेश कुमार	केकड़ा	मुकेश कुमार
8.	Sanjit Kumar	अमनाबाद	Sanjit Kumar
9.	अमरजीत राय	अमनाबाद	अमरजीत कुमार
10.	संजय कुमार	केकड़ा	संजय कुमार
11.	धर्मवीर कुमार	अमनाबाद	धर्मवीर [illegible]
12.	रंजीत कुमार	केकड़ा	रंजीत कुमार
13.	आनन्द कुमार	केकड़ा	आनन्द कुमार
14.	Sony Kumar	अमनाबाद	Sony Kumar
15.	Rakesh. Kumar	केकड़ा	Rakesh Kumar
16.	Bijendra Kumar	केकड़ा	Bi[illegible]
17.	साहिल राय	अमनाबाद	साहिल कु०
18.	अनूप कुमार	केकड़ा	अनूप कुमार

19.	शेखर राय	केकदा	शेखर राय
20.	अनील यादव	आनन्दपुर केकदा	अनील यादव
21.	Ramesh Ray	Anandpur	Ramesh Ray
22.	आनन्द सिंह	अमनाबाद	आनन्द सिंह
23.	विजय राय	केकदा	विजय राय
24.	सत्येन्द्र यादव	केकदा	सत्येन्द्र यादव
25.	चन्द्र भूषण	अमनाबाद	चन्द्र भूषण
26.	आशीष कुमार	आनन्दपुर केकदा	आशीष कुमार
27.	राहुल कुमार	केकदा	राहुल कुमार
28.	Rashan Kumar	अमनाबाद	Rashan Kum
29.	Bikesh Kumar	आनन्दपुर केकदा	Bikesh Kum
30.	भूषण यादव	अमनाबाद	भूषण यादव
31.	विनोद पासवान	अमनाबाद	विनोद पासवान
32.	ANIL KUMAR	आनन्दपुर	ANIL KUM
33.	रितिक कुमार	अमनाबाद	रितीक कुमार
34.	नितिक कुमार	आनन्दपुर केकदा	नितिक कुमार
35.	गोलु कुमार	आनन्दपुर	गोलू कुमार
36.	lucky Kumar	ANandPur	lucky Kuma
37.	Manish KUMAR	आनंदपुर केकदा	Manish Kum
38.	SUJay Ray	अमनाबाद	SUJAY Kuma
39.	MUKesh Ray	आनन्दपुर	MUKESH KU
40.	विजय पासवान	अमनाबाद	विजय पासवान
41.	विदुर राय	केकदा	विदुर राय
42.	उदय राय	केकदा	उदय राय

43.	मोहन राय	आनन्दपुर (ठेकहा)	मोहन राय
44.	सिकन्दर राय	अमनाबाद	सिकन्दर राय
45.	विजेन्द्र कुमार	आनन्दपुर (ठेकहा)	विजेन्द्र कुमार
46.	नागेन्द्र राय	अमनाबाद	नागेन्द्र राय
47.	रामेश्वर राय	आनन्दपुर (ठेकहा)	रामेश्वर राय
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			